

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/396/243

भोपाल, दिनांक 08/02/2022

//आदेश//

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/बोर्ड/प्रशा./भृत्य व्यवस्था/22/01-02 दिनांक 06.01.2022 द्वारा श्री गोपीलाल वर्मा, भृत्य मण्डी बोर्ड मुख्यालय की डियूटी अस्थाई रूप से सुश्री संजना जैन, उपसचिव (कृषि) मंत्रालय भोपाल के अधीन लगाई गयी थी, परन्तु श्री गोपीलाल वर्मा, भृत्य द्वारा बगैर अवकाश स्वीकृति के अपने कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहने एवं वरिष्ठ अधिकारी के आदेश एवं निर्देशों का पालन नहीं करने तथा कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में इन्हें राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 50(14)(18)(19) एवं 67 का उल्लंघन होने के कारण उन्हें मध्यप्रदेश राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम-1998 के विनियम 35(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री गोपीलाल वर्मा, भृत्य का मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इन्दौर रहेगा। निलंबन अवधि में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 36 के तहत जीवन निर्वाह भते की पात्रता होगी जिसका भुगतान म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इन्दौर से देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा आदेशित)

अपर संचालक (कार्मिक)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/396/244

भोपाल, दिनांक 08/02/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक (प्रशासन) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि विभागीय जांच शाखा को नियत अवधि में आरोप पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. अपर/संयुक्त संचालक (विभागीय जांच) की ओर भेजकर लेख है कि नियत अवधि में आरोप पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इन्दौर।
5. श्री गोपीलाल वर्मा, भृत्य म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर पालनार्थ।
6. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गोप. चरित्रवली/विभा.जाँच/शिकायत/नियमन/निर्माण/वित्त शाखा/..... मण्डी बोर्ड मुख्यालय।

अपर संचालक (कार्मिक)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल